न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– नेहा गिरि, आई.ए.एस., जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
मुकदमा नम्बर :– 52/2017
उनवानी प्रकरण :–

1. वीरेन्द्र पुत्र स्व. रामभरोसी जाति ठाकुर निवासी ग्राम एकटा तहसील बसेडी जिला धौलपुर ———————————————— प्रार्थीगण।

बनाम्

1. केशव सिहं पुत्र स्व. श्री नत्थी सिहं जाति ठाकुर निवासी गुनपुर हाल आबाद एकटा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
2. रामप्रकाश पुत्र स्व. श्री नत्थी सिहं जाति ठाकुर निवासी गुनपुर हाल आबाद एकटा तहसील बसेडी जिला धौलपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी ———————— अप्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र वास्ते आदेश की पालना कराये जाने बावत्।

उपस्थिति :–
1– प्रार्थी की ओर से ::– श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा अभिभाषक।
2– अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :– 21.1.2019

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.5.1992 की पालना कराये जाने हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने गत आराजी खसरा 507 रकवा 41 बीघा 6 विस्वा किस्म चारागाह स्थित वाके ग्राम एकटा के बावत एक फर्जी एलोटमेन्ट/नियमन आदेश राजस्व कर्मचारियों की मदद से तैयार वर्ष 1974 में कर लिया था। उक्त आवंटन/नियमन दिनांक 31.12.1974 को निरस्त कराने के लिए उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 17 ए राजस्थान उप निवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना) नियम 1967 के तहत प्रस्तुत किया जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.5.1992 को स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया कि उक्त आवंटन/ नियमन शुरू से ही अवैध एवं अनुचित था जिसे निरस्त किया गया । इसके अलावा यह भी आदेश दिये कि जो प्रीमियम राशि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने तहसील में जमा करायी उसे अप्रार्थी संख्या 1 को लोटा दिया जावे । तथा उक्त भूमि को तत्काल ही तहसीलदार अपने कब्जे में लेवे एवं इस पर किसी भी व्यक्ति का कब्जा नहीं रहने दिया जावे ।

इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.5.1992 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में प्रस्तुत अपील दिनांक 9.9.194 को राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

21.1.19
नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

में प्रस्तुत अपील दिनांक 18.3.1997 को तथा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका दिनांक 14.11.1997 को खारिज कर दी गई । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.5.1992 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 507 रकवा 41 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम एकटा तहसील बसेडी में से 14 बीघा के बावत आवंटन/नियमन आदेश में दर्ज इन्द्राजात को निरस्त किये जाने एवं उक्त आराजी को पुनः चारागाह भूमि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का नोटिस जारी किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर उज्रदारी पेश करें ।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री विनोद भार्गव अभिभाषक ने अपना वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नहीं हुऐ । प्रकरण में प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार बसेडी से टिप्पणी चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक ने दिनांक 29.5.2018 को यह कथन किया कि वह प्रकरण में पैरवी करना नहीं चाहते है।

तहसीलदार बसेडी से टिप्पणी दिनांक 23.5.2018 को प्राप्त हुई जिसके अनुसार इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.5.2018 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 751 दिनांक 6.6.1992 से खसरा नम्बर 507 रकवा 7 बीघा पर केशव सिहं पुत्र नत्थीसिहं के स्थान पर सिवायचक स्वीकार किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 752 दिनांक 6.6.1992 से खसरा नम्बर 507 रकवा 7 बीघा पर रामप्रकाश पुत्र नत्थी सिहं जाति ठाकुर के स्थान पर सिवायचक दर्ज किया गया ।

तहसीलदार बसेडी की रिपोर्ट दिनांक 23.5.2018 पर प्रार्थी ने अभिभाषक ने आपत्ति जाहिर करते हुए कथन किया कि नियमन आदेश दिनांक 31.12.1974 से पूर्व आराजी राजस्व रिकोर्ड में चारागाह दर्ज थी जिसे अब चारागाह ही दर्ज किया जावे। इस पर पुनः तहसीलदार बसेडी से टिप्पणी चाही गई। तहसीलदार बसेडी ने अपनी टिप्पणी दिनांक 20.7.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश कमांकः1013 दिनांक 18.4.1988 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 726 दिनांक 25.7.91 गत खसरा नम्बर 507 रकवा 36 बीघा 6 विस्वा सिवायचक दर्ज की गई। उपखण्डाधिकारी के नियमन आदेश दिनांक 31.12.1974 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 727, 728 दिनांक 26.7.1991 केशव सिहं व राम प्रकाश के नाम गैर खातेदारी दर्ज की गई। निर्णय दिनांक 25.5.1992 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 751 दिनांक 6.6.1992 से खसरा नम्बर 507 रकवा 7 बीघा पर केशव सिहं पुत्र नत्थीसिहं के स्थान पर सिवायचक स्वीकार किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 752 दिनांक 6.6.1992 से खसरा नम्बर 507 रकवा 7 बीघा पर रामप्रकाश पुत्र नत्थी सिहं जाति ठाकुर के स्थान पर सिवायचक दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 727, 728 से पूर्व नामान्तरकरण संख्या 726 से भूमि चारागाह से सिवायचक दर्ज हुई हैं। नामान्तरकरण संख्या 751, 752 से पूर्व उक्त भूमि सिवायचक होने से नामान्तरकरण में सिवायचक का इन्द्राज था। उपखण्डाधिकारी द्वारा नियमन आदेश

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

दिनांक 31.12.1974 को उक्त भूमि चारागाह थी । रिकोर्ड में भूमि वर्तमान में सिवायचक है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि नियमन दिनांक 31.12.1974 को आराजी खसरा नम्बर 507 रकवा 41 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम एकटा तहसील बसेडी राजस्व रिकोर्ड में चारागाह दर्ज थी । उक्त नियमन आदेश को न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.5.1992 के द्वारा निरस्त कर दिया जिसकी अपील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में दायर की जो दिनांक 9.9.1994 को खारिज कर दी गई । अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की गई जो दिनांक 6.2.1997 को खारिज कर दी गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर की गई । माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 14.11.2007 के द्वारा अप्रार्थीगण की रिट याचिका खारिज कर दी । इस प्रकार इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.5.1992 अन्तिम निर्णय रहा । अतः राजस्व रिकोंर्ड में नियमन से पूर्व की स्थिति दर्ज होनी चाहिए जो कि चारागाह थी । तहसीलदार बसेडी द्वारा राजस्व रिकोर्ड में भूमि चारागाह के स्थान पर सिवायचक दर्ज की गई है जो नियम विरूद्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.5.1992 की पालना में आराजी खसरा नम्बर 507 रकवा 41 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम एकटा तहसील बसेडी में 14 बीघा भूमि को चारागाह दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जावे ।

अप्रार्थी संख्या 3 के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान तहसीलदार बसेडी से प्राप्त टिप्पणी में अकिंत तथ्यों का दौहराते हुए कथन किया कि निर्णय दिनांक 25.5.1992 की पालना में आराजी को सिवायचक दर्ज कर पालना कर दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को आराजी खसरा नम्बर 507 रकवा 41 बीघा 6 विस्वा किस्म जमीन चारागाह वाके ग्राम एकटा तहसील बसेडी में से 7 –7 बीघा आराजी दिनांक 31.12.1974 को उपखण्डाधिकारी द्वारा किस्त परिवर्तन कर नियमन की गई थी। उक्त नियमन आदेश की अपील इस न्यायालय में दायर की गई । न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.5.1992 के द्वारा नियमन आदेश दिनांक 31.12.1974 निरस्त कर दिया गया । उक्त आदेश दिनांक 25.5.1992 की अपील अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर में दायर की जो दिनांक 9.9.1994 को खारिज कर दी गई । अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के निर्णय की अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की गई जो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 6.2.1997 को खारिज कर दी गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर की गई । माननीय उच्च न्यायालय जयपुर ने

नेहा गिरि
जिला कलक्टर धौलपुर

अपने निर्णय दिनांक 14.11.2007 के द्वारा अप्रार्थीगण की रिट याचिका खारिज कर दी । इस प्रकार इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.5.1992 अन्तिम निर्णय रहा। राजस्व रिकोर्ड में नियमन से पूर्व विवादित आराजी की किस्म चारागाह दर्ज थी उक्त निर्णयों की रोशनी में आज की स्थिति में विवादित आराजी राजस्व रिकोर्ड में चारागाह दर्ज होनी चाहिए जबकि तहसीलदार बसेडी द्वारा राजस्व रिकोर्ड में भूमि चारागाह के स्थान पर सिवायचक दर्ज की गई है जो नियम विरूद्ध है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.5.1992 की पालना में आराजी खसरा नम्बर 507 रकवा 41 बीघा 6 विस्वा वाके ग्राम एकटा तहसील बसेडी में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को निमयन की गई 7–7 बीघा भूमि को चारागाह दर्ज कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार बसेडी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उक्त आराजी को राजस्व रिकोर्ड में नियमन से पूर्व की स्थिति किस्म चारागाह दर्ज करें । निर्णय की प्रति तहसीलदार बसेडी को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो । बाद तकमील दाखिल दफतर हो । नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 21.1.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
जिला कलक्टर, धौलपुर